भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 44

उत्तर देने की तारीख 20.07.2023

औद्योगिक पार्क

44. डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निजी भूमि पर औद्योगिक पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने हेतु विशिष्ट प्रोत्साहन अथवा लाभ प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एमएसएमई हेतु निजी भूमि पर औद्योगिक पार्कों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कई पार्क बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एमएसएमई हेतु निजी भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाने के लिए मंजूरी लेने की शर्तें और निबंधन तय कर ली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (घ) : एमएसएमई मंत्रालय देशभर में सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएससी डीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है । इस योजना का उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों/फ्लेट-फैक्ट्री काम्पलेक्सों के लिए भारत सरकार (जीओआई) की वित्तीय सहायता के माध्यम से क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के समग्र विकास के लिए उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

एमएसईसीडीपी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के पास निजी जमीन पर औद्योगिक पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन अथवा लाभ का प्रावधान नहीं है। तथापि, जो एमएसएमई निजी औद्योगिक पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित कर रही हैं, वे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई),राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब इत्यादि जैसी एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं।

******